

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 448/2025

अनवान : -

1. सरबजीत कौर पत्नि धर्मसिंह जाति जटसिंख निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. गुरदीप सिंह पुत्र बग्गासिंह जाति जटसिंख निवासी जसाना तहसील मोहर
3. दर्शनसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिंख निवासी जसाना तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम

1. सरजीत कौर पत्नि हरनेकसिंह जाति जटसिंख निवासी जसाना तहसील नोहर
2. प्रियका कुमारी पत्नि कुलदीपसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा
3. राजस्थन सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 13/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की सयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 21 जे. एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2077 से 2080 के खाता सं. 124/117 प.न. 323/407 मु.न. 46 के किला नं. 6/2 की 0.2270 हैक्टर भूमि, 7 व 14 की 0.7560 हैक्टर, 15/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 16/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला. 16/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, प.न. 324/406 मु.न. 40 के किला नं. 25/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, प.न. 324/407 मु.न. 45 के किला नं. 5/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु.रास्ता, 5/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि. 7 ता 9 की 7590 हैक्टर, 10 ता 12 की 7590 हैक्टर, 13, 14, 17 की 7590 हैक्टर, प 18 ता 19 की 0.5060 हैक्टर, 20 ता 22 की 7590 हैक्टर, 23 की 0.2530 हैक्टर प.न. 325/406 मु.न. 41 के किला नं. 21 ता 23 की 7590 हैक्टर, 24 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 325/407 मु.न. 44 के किला नं. 1 ता 3 की 7590 हैक्टर, 4 की 0. 2530 हैक्टर भूमि 5/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 5/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि. 6/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 15/1 की 0. 0260 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.2270 हैक्टर भूमि प.न. 326/407 मु.न. 43 के किला नं. 1 व 2 की 0.5060 हैक्टर भूमि कुल 42 कित्ता की 8.8290 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है। रोही मौजा चक 21 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2077 से 2080 के खाता सं. 124/117 की कुल 42 कित्ता की 8.8290 हैक्टर भूमि में वादीया सं. 1 अकेली 2201/8830 हिस्सा, एवं वादी सं. 2 अकेला 82702/1443705 हिस्सा, वादी सं. 3 अकेला 506/4415 हिस्सा प्रतिवादीया सं. 1 अकेली 2214/4415 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 2 अकेली 253/3270 हिस्सा भूमि खातेदार कास्तकार है।



Rahul

असतक अधिकारी
नोहर

वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने-अपने हिस्सा पर अलग - अलग कब्जा काश्त में खातेदारी भूमि चली आ रही है तथा मौजा पर अलग-अलग सींव कायम है तथा वादीगण प्रतिवादीगण से खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त एवं हक व हिस्सा के अनुसार प्रतिवादीगण से अलग-अलग करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 21 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2077 से 2080 के खाता सं. 124/117 की कुल 42 किता की 8.8290 हैक्टर भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबन्दी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की बहस सुनी जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्त राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि हम सभी पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा खाता व लगान अलग किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने एवं वादी व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 21 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2077 से 2080 के खाता सं. 124/117 की कुल 42 किता की 8.8290 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


1. वादी सं. 1 सरबजीत कौर के पास - रोही मौजा चक 21 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में से प.न. 323/407 मु.न. 46 के किला नं. 14 की 0.2530 हैक्टर, 15/1 की 0.025 हैक्टर गै. मु. खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्टर, 16/1 की 0.025 हैक्टर गै.मु. खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्टर, प.न. 324/407 मु. न. 45 के किला नं. 11. 12 की 0.5060 हैक्टर भूमि 13/1 की 0.240 हैक्टर, 14/1 की 0.240 हैक्टर भूमि, 17 की 0.2530 हैक्टर, 18/1 की 0.028 हैक्टर, 23/1 की 0.028 हैक्टर योग 2.054 हेक्टर भूमि नहरी, 2.004 हैक्टर, गै.मु. खाला, 0.050 हैक्टर भूमि रहेगी।


अधिवक्ता अधिकारी
नोहर

2. वादी सं. 2 गुरदीप सिंह के पास – रोही मौजा चक 21 जे.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में 324/407 मु.न.रू 45 के किला नं. 9 व 10 की 0.5060 हैक्टर, योग 0.5060 हैक्टर भूमि रहेगी।
3. वादी सं. 3 दर्शनसिंह के पास रोही मौजा चक 21 जे.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में से प.न. 323/407 मु.न. 46 के किला नं. 6/2 की 0.2270 हैक्टर, 7 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 324/407 मु.न. 45 के किला नं. 7 व 8 की 0.5060 हैक्टर, 13/2 की 0.013 हैक्टर, 14/2 की 0.013 हैक्टर, योग 1.012 हैक्टर नहरी भूमि रहेगी
4. प्रतिवादी सं. 1 सरजीत कौर के पास – रोही मौजा चक 21 जे.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में से प. न. 325/406 मु.न. 41 के किला नं. 21 ता 24 की 1.0120 हैक्टर, प.न. 324/406 मु.न. 40 के किला नं. 25/1 की 0.025 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/2 की 0.2280 हैक्टर, प.न. 324/407 मु.न. 45 के किला नं. 5/1 की 0.025 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 5/2 की 0.2280 हैक्टर, 18/2 की 0.225 हैक्टर, 19 ता 22 की 1.012 हैक्टर, 23/2 की 0.225 हैक्टर, प.न. 325/407 मु.न. 44 के किला नं. 1 ता 4 की 1.0120 हैक्टर, 5/1 की 0.025 हैक्टर गै.मु. खाला 5/2 की 0.2280 हैक्टर, प.न. 326/407 मु.न. 43 के किला नं. 1 की 0.2530 हैक्टर, 2/1 की 0.076 हैक्टर, योग 4.574 हैक्टर भूमि नहरी 4.499 हैक्टर, खाला, 0.025 हैक्टर, रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि भूमि रहेगी।
5. प्रतिवादी सं. 2 प्रियका कुमारी के पास – रोही मौजा चक 21 जे.एन. एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में से प.न. 325/407 मु.न. 44 के किला नं. 6/1 की 0.025 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्टर, 15/1 की 0.026 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.2270 हैक्टर, प.न. 326/407 मु.न. 43 के किला नं. 2/2 की 0.177 हैक्टर भूमि कुल 0.683 हैक्टर नहरी 0.632 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.051 हैक्टर भूमि का रहेगी।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 13/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 448/2025

अनवान : -

1. सरबजीत कौर पत्नि धर्मसिंह जाति जटसिंख निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. गुरदीप सिंह पुत्र बग्गासिंह जाति जटसिंख निवासी जसाना तहसील मोहर
3. दर्शनसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिंख निवासी जसाना तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम

1. सरजीत कौर पत्नि हरनेकसिंह जाति जटसिंख निवासी जसाना तहसील नोहर
2. प्रियका कुमारी पत्नि कुलदीपसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा
3. राजस्थन सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 448 सन 2025 निर्णय दिनांक 13/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने एवं वादी व प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 21 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2077 से 2080 के खाता सं. 124/117 की कुल 42 किता की 8.8290 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. वादी सं. 1 सरबजीत कौर के पास - रोही मौजा चक 21 जे.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में से प.न. 323/407 मु.न. 46 के किला नं. 14 की 0.2530 हैक्टर, 15/1 की 0.025 हैक्टर गै. मु. खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्टर, 16/1 की 0.025 हैक्टर गै.मु. खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्टर, प.न. 324/407 मु. न. 45 के किला नं. 11. 12 की 0.5060 हैक्टर भूमि 13/1 की 0.240 हैक्टर, 14/1 की 0.240 हैक्टर भूमि, 17 की 0.2530 हैक्टर, 18/1 की 0.028 हैक्टर, 23/1 की 0.028 हैक्टर योग 2.054 हेक्टर भूमि नहरी, 2.004 हैक्टर, गै.मु. खाला, 0.050 हैक्टर भूमि रहेगी।
2. वादी सं. 2 गुरदीप सिंह के पास - रोही मौजा चक 21 जे.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में 324/407 मु.न.रू 45 के किला नं. 9 व 10 की 0.5060 हैक्टर, योग 0.5060 हैक्टर भूमि रहेगी।
3. वादी सं. 3 दर्शनसिंह के पास रोही मौजा चक 21 जे.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में से प.न. 323/407 मु.न. 46 के किला नं. 6/2 की 0.2270 हैक्टर, 7 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 324/407 मु.न. 45 के किला नं. 7 व 8 की 0.5060 हैक्टर, 13/2 की 0.013 हैक्टर, 14/2 की 0.013 हैक्टर, योग 1.012 हैक्टर नहरी भूमि रहेगी
4. प्रतिवादी सं. 1 सरजीत कौर के पास - रोही मौजा चक 21 जे.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में से प. न. 325/406 मु.न. 41 के किला नं. 21 ता 24 की 1.0120 हैक्टर, प.न. 324/406 मु. न. 40 के किला नं. 25/1


राहुल श्रीवास्तव
कलक्टर

की 0.025 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/2 की 0.2280 हैक्टर, प.न. 324/407 मु.न. 45 के किला नं. 5/1 की 0.025 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 5/2 की 0.2280 हैक्टर, 18/2 की 0.225 हैक्टर, 19 ता 22 की 1.012 हैक्टर, 23/2 की 0.225 हैक्टर, प.न. 325/407 मु.न. 44 के किला. नं. 1 ता 4 की 1.0120 हैक्टर, 5/1 की 0.025 हैक्टर गै.मु. खाला 5/2 की 0.2280 हैक्टर, प.न. 326/407 मु.न. 43 के किला नं. 1 की 0.2530 हैक्टर, 2/1 की 0.076 हैक्टर, योग 4.574 हैक्टर भूमि नहरी 4.499 हैक्टर, खाला, 0.025 हैक्टर, रास्ता 0.050 हैक्टर भूमि भूमि रहेगी।

5. प्रतिवादी सं. 2 प्रियका कुमारी के पास – रोही मौजा चक 21 जे.एन. एन. तहसील नोहर के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 8.8290 हैक्टर भूमि में से प.न. 325/407 मु.न. 44 के किला नं. 6/1 की 0.025 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्टर, 15/1 की 0.026 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.2270 हैक्टर, प.न. 326/407 मु.न. 43 के किला नं. 2/2 की 0.177 हैक्टर भूमि कुल 0.683 हैक्टर नहरी 0.632 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.051 हैक्टर भूमि का रहेगी।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर